कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून।

पत्रांकः /रा0त0नि0का0दे0दून /वि0त0नि0दि0–2019/ दिनांकः 28/05/2019

सेवा में,

समस्त कार्यालयाध्यक्ष
देहरादून।

विषयः **विश्व तम्बाकू निषेध दिवस (31 मई 2019) के अवसर पर कार्यालय/संस्थानों को तम्बाकू मुक्त बनाये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,

प्रत्येक वर्ष की भाँति इस वर्ष भी दिनांक 31 मई 2019 को आमजन को तम्बाकू/धूम्रपान के सेवन से शरीर पर होने वाले दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करने हेतु विश्व तम्बाकू निषेध दिवस का आयोजन किया जाना है। इस अवसर पर इस वर्ष की थीम "Tobacco and Lung Health" के विषय में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है तथा कोटपा अधिनियम 2003 के प्रावधानुसार अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की कार्यवाही की जायेगी। इस महत्वपूर्ण दिवस में जनपद स्तरीय कार्यालय एवं संस्थानों को कोटपा अधिनियम 2003 के तहत प्रावधानुसार तम्बाकू मुक्त बनाया जाना है। कोटपा अधिनियम मार्गदर्शिका, अर्थदण्ड पुस्तिका कार्यालय को पूर्व में दिनाँक 08.01.2018 को उपलब्ध करायी जा चुकी है ।

अतः विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर अपने कार्यालय/संस्थान में तम्बाकू उत्पादों के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जायें तथा कार्यालय/संस्थान परिसर को कोटपा अधिनियम 2003 के तहत कार्यवाही कर तम्बाकू मुक्त बनाये जायें।

कोटपा अधिनियम के मानको के अनुरुप कार्यलय को तम्बाकू मुक्त किये जाने के उपरान्त कार्यालय अध्यक्ष द्वारा तम्बाकू मुक्त कार्यलय सम्बन्धित प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रक्रिया के सहयोग हेतु एवं प्रचार –प्रसार सामग्री, कार्यालय बोर्ड, मार्गदर्शिका की आवश्यकता हेतु जिला तम्बाकू नियत्रण प्रकोष्ठ देहरादून से सम्पर्क किया जाये।

सम्पर्क सूत्र : कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी – 0135–2724506
श्रीमती अर्चना उनियाल – 8954265118,9410540513
ई0 मेल0– ntcp.ddun@gmail.com

28/5/19
(एस0ए0 मुरूगेशन)
जिलाधिकारी
देहरादून।

पत्रांकः /रा0त0नि0का0दे0दून /वि0त0नि0दि0–2019/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि :

1. मिशन निदेशक, एन0एच0एम0 उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
देहरादून।